न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–177/2022

रामाधार प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

भुषण कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
11.07.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–12 ता 15 की तरफ से एक आवेदन दिनांक 27.06.2025 अन्तर्गत धारा–05 लिमिटेशन एक्ट के तहत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 11.07.2025 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–12 ता 15 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–12 ता 15 दिनांक 10.10.2023 को पक्षकार बनने के लिए आवेदन दिये थे जो सुनवाई के पश्चात् दिनांक 14.08.2024 को प्रतिवादी सं0–12 ता 15 को पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी सं0–12 ता 15 को कुछ कागजातों का नकल ससमय उपलब्ध नहीं होने के कारण ब्यान तहरीरी समय पर दाखिल नहीं हो सका है। प्रतिवादी सं0–12 ता 15 इस वाद में अपना ब्यान तहरीरी दिनांक 04.03.2025 को विलम्ब से दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0–12 ता 15 ब्यान तहरीरी दाखिल करने में जान बुझकर विलम्ब नहीं किये है। कुछ कागजातों का नकल प्राप्त नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है। प्रतिवादी सं0–12 ता 15 ब्यान तहरीरी दाखिल कर इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। अगर प्रतिवादी सं0–12 ता 15 को ब्यान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए इसे स्वीकार नहीं किया गया तो प्रतिवादी सं0–12 ता 15 को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी सं0–12 ता 15 को ब्यान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिवादी सं0–12 ता 15 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा प्रदान की जाए। वादीगण की ओर से कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–177/2022

रामाधार प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

भुषण कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 11.07.2025	लेकिन प्रतिवादी सं0–12 ता 15 के आवेदन दिनांक 27.06.2025 का मौखिक विरोध किया गया एवं प्रतिवादी सं0–12 ता 15 का आवेदन खारिज होने योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तथा अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0–12 ता 15 की ओर से एक आवेदन दिनांक 27.06.2025 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि ब्यान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिवादी सं0–12 ता 15 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को स्वीकार किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए, जिससे वाद का निपटारा उचित ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–12 ता 15 का आवेदन दिनांक 27.06.2025 को मो0– 500/– के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 10.09.2025 को सुनवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	